राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2163/2012/उदयपुर

मैसर्स शाह पोलीमर्स लि., उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (अपील्स), उदयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   विशेष वृत, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरना,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 158/वेट/11–12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत उदयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.11.2010 के जरिये कायम मांग राशि ब्याज रूपये 30,750/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी की इकाई Rajasthan Investment Promotion Scheme 2003 (रिप्स) (जिसे आगे **"योजना 2003"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत अनुदान पाने के लिये अधिकृत है। देय अनुदान समय पर स्वीकृत नहीं करने के कारण उन्होंने स्वयं ही उसका समायोजन देय कर के विरूद्ध कर लिया, परन्तु निर्धारण अधिकारी ने राज्यकोष में अनुदान राशि जमा नहीं होने को कर जमा नहीं मान कर ब्याज का आरोपण कर दिया गया। जिसके लिये संशोधन हेतु धारा 33 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसको निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी की इकाई Rajasthan Investment Promotion Scheme 2003 (रिपस) के अन्तर्गत अनुदान पाने के लिये अधिकृत है। जिसके लिये निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 17.06.2008 को वर्ष 2008–09 का देय अनुदान पारित करने का आदेश पारित किया था लेकिन वास्तव में अनुदान उनके खाते में दिनांक 29.03.2010 को प्राप्त हुआ था। जिस पर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब की अवधि के दौरान कर जमा नहीं मानकर ब्याज का आरोपण कर दिया गया। जिसको संशोधन हेतु धारा 33 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 10.11.2010 को उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। चूंकि इसमें व्यवसायी द्वारा कर विलम्ब से जमा कराने की मंशा नहीं थी बल्कि इकाई को देय अनुदान राशि विलम्ब से उनके खाते में जमा किये जाने के कारण चूक हुई अतः प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को योजना–2003 के तहत पूंजीगत निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy) ब्याज अंश (Interest Component) का लाभ सक्षम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत है। यह लाभ निवेशक को त्रैमासिक आधार पर योजना–2003 में विहित शर्तों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सब्सिडी रिलीज ऑर्डर जारी किया जाता है। योजना–2003 के तहत सब्सिडी का आहरण बजट के आधार पर राजकोष (Treasury) में अग्रिम देय कर के पेटे जमा किया जाता है (सब्सिडी का नगद भुगतान नहीं किया जाता है) जब सब्सिडी, सब्सिडी के बजट शीर्षक से आहरित होकर बुक एन्ट्री द्वारा या चालान द्वारा व्यवहारी के खाते में जमा होती है तभी यह राजकोष में व्यवहारी द्वारा देय कर पेटे जमा होती है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39 के तहत राजकोष में कर भुगतान को स्पष्ट किया गया है। प्रावधान के सुसंगत अंश इस प्रकार है :–

behalf of the State Government, by means of a challan in Form VAT-37 or through a demand draft drawn on any branch of a bank situated in Rajasthan, in favour of the assessing authority concerned or any authorized officer:

(2) On deposit of the tax, demand or other sum under sub-rule (1), the bank shall return Part IV and Part V of the challan after affixing its seal thereon to the person depositing the amount and Part" **i11** of the challan shall be sent by such bank to the treasury or authorized officer. Part I and Part IT of the challan shall be sent by such bank to the treasury, and such treasury shall retain Part **I** of the challan and shall forward the Part II to the Accountant General, Rajasthan. The person who made the payment wi ll retain Part V of the challan with himself and shall enclose tbe Part IV thereof with the application, return, memorandum of appeal or other document to be submitted to the authority concerned.

(3) **The date of payment for the purpose of these rules shall be the date on which cash is deposited, or a demand draft/ banker's cheque/cheque is encashed and deposited in the account of the State Government.**

7. उक्त प्रक्रिया के मददेनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के पक्ष में जारी सब्सिडी रिलीज ऑर्डर मात्र आदेश होता है, जिसके आधार पर बिल बनाकर सब्सिडी के विहित मद से राजकोष से भुगतान किया जाता है तथा भुगतान व्यवहारी द्वारा देय नियमित कर पेटे चालान या बुक एन्ट्री द्वारा समायोजित कर लिया जाता है।

8. उपर्युक्त प्रावधानों के योजना 2003 के क्लाज 9(बी)(vii) में भी स्पष्ट प्रावधान है कि :–

> **"(vii) The payment of [capital investment subsidy (intrest component) shall be made only for the period for which the unit deposits State and/ over central Sales Tax and/or and makes regular repayment of loan intrest due to the financial insititution(s). Subsidy shall be disallowed for the period the unit defaults in depositing sales tax or defaults in regular repayment of loan or intrest "**

9. उक्त प्रावधानानुसार कर का भुगतान राजकोष में राशि जमा होने की तिथि से ही होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2008–09 की तिमाहियों के लिये सब्सिडी के

10. जहां तक नियमित कर जैसा कि विवरणियों में घोषित किया गया है, लेकिन तद्नुसार चुकाया नहीं गया है, वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत देरी के अनुसार ब्याज आरोपण विधिसम्मत होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2005) 141 एस.टी.सी. 12 ई.आई.डी. पैरी (इण्डिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर चैन्नई में न्यायालय के पूर्व निर्णय 94 एस.टी.सी. 422 को विचारित करते हुए पैरा 16 में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि यद्यपि तमिलनाडू बिक्री कर अधिनियम, 1959 तथा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के ब्याज सम्बन्धी प्रावधान सदृश नहीं है, फिर भी माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

" .....If the return shows the actual turnover and tax is not paid as per the return, then interest would be payable under Section 24(3) as that would be a case where amount has remained unpaid after the date specified for its payment. However, if the monthly return does not indicate the actual. turnover then it was for the Assessing Authority to make a demand on the footing that the return was incomplete or incorrect. In the absence of any such demand interest would not become payable under Section 24(3) as there is no provision for charging of interest prior to the date of demand. In this respect the principles laid down in J.K. Synthetics Ltd.'s case fully apply even though the provisions of the Tamil Nadu General Sales Tax Act and the Rajasthan Act may not be identical. The principle to be kept in mind is, that, when the levy of interest emanates as a statutory consequence and such liability is a direct consequence of non-payment of tax, be it under Section 215 of the Income Tax Act or under Section 7(2) / 7(2A) read with Section IIB(a) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (as discussed in the decision of this Court in the case of J. K. Synthetics Ltd.'s case (supra) or under Sections 13(2) / 24(3) read with Rule 18(3) under the Tamil Nadu General Sales Tax Act, 1959, then such a levy is different from the levy of interest which is dependent on the discretion of the Assessing Officer. The default arising on non- payment of tax on an admitted liability in the case of self-assessment falls under Section 24(3) read with Rule 18(3) which attracts automatic levy of interest whereas the default in filing incomplete and incorrect return falls under Rule 18(4) which attracts best judgment assessment in which the levy of interest is based on the adjudication by the Assessing Officer. Therefore, Rule 18(3) and Rule 18(4) operate in different spheres."

11. इसके अलावा वेट अधिनियम की धारा 55(1) में स्पष्ट प्रावधित है कि :–

55. Interest on failure to pay tax or other sum payable. -

(1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of

within specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time, for the period commencing from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

12. उक्त प्रावधान अनुसार कर उद्ग्रहणीय या संदेय (leviable or payable) विहित समय पर जमा नहीं होने पर ब्याज आरोपणीय है। अतः व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा नियमित कर कम अथवा समय पर देय कर जमा कराने के बावजूद ब्याज आरोपण को अविधिक होने का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि कर विधिक आदेश पारित किया है इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क रहा है कि उसे योजना–2003 के तहत सब्सिडी रिलीज ऑर्डर के 30 दिन बाद से भुगतान अवधि का ब्याज देय है। जिस पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कोई निर्णय नहीं दिया था। निवेशक को देय ब्याज के विषय में योजना–2003 के क्लॉज–10 Terms & Conditions के Note में विहित है कि :–

> Note : Interest @ 5 percent per annum would be payable to investor in case the payment of Capital Investment subsidy is delayed for a period of more than 30 days once the Capital Investment Subsidy release order is issued.

14. कर निर्धारण आदेश में अनुदान राशि का समायोजन आलौच्य अवधि में केन्द्रीय अधिनियम के तहत पारित आदेश में कर पेटे दिया गया है, लेकिन अनुदान स्वीकृत आदेश पूर्व में ही दिनांक 17.06.2008 को जारी हो चुके थे। स्वीकृति आदेश से 30 दिवस के बाद अनुदान का भुगतान होने पर उक्त क्लॉज–10 अनुसार ब्याज देय होता है, जो नहीं दिया गया है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार अनुदान राशि के रिलीज आदेश जारी होने व राजकोष में भुगतान तिथि के मध्य विलम्ब की गणना कर ब्याज का भुगतान निवेशक व्यवहारी को किया जावे। इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

15. उरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा देय राशि देरी से जमा होने के फलस्वरूप आरोपित ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा योजना, 2003 के क्लॉज 10 के नोट के अनुसार विलम्ब पर देय ब्याज के बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

6.6.2016

(मदन लाल)